प्रकरण संख्याः 26/2022
कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांकः 15.09.2022

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 26/2022
दायर दिनाकं : 27.05.2022
निर्णय दिनांक : 15.09.2022

## उनवान

कन्हैयालाल पुत्र रणधीर जाति गुर्जर निवासी बैरावास तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रार्थी)

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।
2. उप तहसीलदार भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बैरावास तहसील दौसा में आराजी खसरा नंबर 163 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 164 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 165 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 167 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 170 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 171 रकबा 0.37 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.07 है0 स्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज रखकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि के आसपास के काश्तकार हमेशा सीमा सम्बन्धी विवाद करते हैं। इसलिए प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजीयात की सही पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है, ताकि सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं रहे। अतः ग्राम बैरावास तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 163 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 164 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 165 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 167 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 170 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 171 रकबा 0.37 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.07 है0 का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण से रिपोर्ट तलबी की गयी। तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम बैरावास की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 का खाता संख्या–11 खसरा नंबर 163, 164, 165, 167, 170 व 171 किता 6 रकबा 2.07 है0 खातेदार कन्हैया पुत्र रणधीर हिस्सा पूर्ण जाति गूजर राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:17 IST
Reason: SelfAttested

लगातार.....2.....

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

शाखा भाण्डारेज मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। मौके पर उक्त भूमि के पडौसी खातेदारों से सीमा विवाद है। उक्त खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान राजस्व टीम द्वारा किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा ने उक्त खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान राजस्व टीम द्वारा किया जाना उचित माना है तथा पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो ग्राम बैरावास तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 163, 164, 165, 167, 170 व 171 किता 6 रकबा 2.07 है0 का अनुभवी पटवारियों/भू.अ. निरी0 की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त आराजी के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:45:17 IST
Reason: SelfAttested